न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

राजस्व अपील संख्या : 12/10/2026 GCMS No. 2026/52

दर्ज दिनांक : 09-04-2026

निर्णय दिनांक : 13-05-2026

जलसिंह पुत्र छीतर, जाति जाट, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम बधाना, तहसील कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

—अपीलार्थी—

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

—प्रत्यर्थी—

अपील अंतर्गत : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक : 15.01.2026

मूल प्रकरण संख्या : 03/25

मूल प्रकरण : राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का बधाना बनाम जलसिंह

विषय : धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अतिक्रमण संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह राजस्व अपील नायब तहसीलदार, कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बधाना स्थित राजकीय भूमि, आराजी खसरा संख्या 2095/1268, किस्म गैरमुमकिन नदी, रकबा 0.54 हैक्टेयर पर अतिक्रमणकारी मानते हुए उसके विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बेदखली, शास्ति तथा खड़ी फसल जप्त/नीलामी संबंधी आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी उसके परिवार की खरीदशुदा/दादलाई/खातेदारी भूमि से संबंधित है, पुराना खसरा नंबर भिन्न रहा है, तथा भूमि वास्तव में नदी नहीं है। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिया और उसके प्रतिवाद एवं दस्तावेजों पर पर्याप्त विचार नहीं किया।

मैंने अपील पत्र, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तथा उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपलब्ध थी, जिसमें राजकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं खेती किया जाना अंकित किया गया। इसी आधार पर विधि अनुसार धारा 91 की कार्यवाही प्रारंभ की गई और आदेश पारित हुआ।

अपीलार्थी द्वारा यह अवश्य कहा गया है कि भूमि उसके अधिकार की है, किन्तु वर्तमान अपील में ऐसा कोई सक्षम आदेश, डिक्री, घोषणा या निर्णय प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का विधिसम्मत अधिकार किसी सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जा चुका है। इसी प्रकार अपीलार्थी के पक्ष में कोई ऐसा **स्थगन आदेश** भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को अपनी कार्यवाही रोकनी चाहिए थी या राजकीय भूमि पर अतिक्रमण संबंधी आदेश पारित करने से विरत रहना चाहिए था।

मात्र यह कहना कि भूमि खरीदशुदा है, दादलाई है, या रिकॉर्ड में त्रुटि है, तब तक पर्याप्त नहीं माना जा सकता जब तक उस दावे के समर्थन में कोई प्रभावी एवं प्रवर्तनीय आदेश उपलब्ध न हो। यदि अपीलार्थी का यह

तहसीलदार

कथन है कि भूमि की प्रकृति, खसरा संख्या, सीमांकन अथवा अधिकार प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है, तो उसके लिए सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष उपयुक्त वाद या कार्यवाही करना उसका पृथक अधिकार है। किन्तु जब तक उसके पक्ष में कोई विधिसम्मत घोषणा या अंतरिम संरक्षण आदेश नहीं है, तब तक केवल दावे के आधार पर राजकीय भूमि संबंधी राजस्व कार्यवाही को अवैध नहीं कहा जा सकता।

नाम, सीमा, प्रकृति या अधिकार संबंधी विवाद का अस्तित्व अपने आप में धारा 91 की कार्यवाही को निष्फल नहीं कर देता, विशेषकर तब जब राजस्व रिकॉर्ड में भूमि राजकीय/गैरमुमकिन नदी के रूप में दर्ज हो और अपीलार्थी के पक्ष में कोई विपरीत प्रभावी अभिलेखीय/न्यायिक संरक्षण उपलब्ध न हो। अधीनस्थ न्यायालय को उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड और पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय देने से रोका नहीं जा सकता था।

अपीलीय अधिकारिता में हस्तक्षेप तभी किया जाना उचित है जब अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पष्टतः अभिलेख-विरुद्ध, विधि-विरुद्ध या अधिकारिता से परे हो। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ऐसा कोई पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं कर सका है जिससे यह निष्कर्ष निकले कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई गंभीर त्रुटि है जो अपीलीय हस्तक्षेप को आवश्यक बनाती हो। इसके विपरीत, उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का अधिकार अभी तक किसी सक्षम मंच द्वारा घोषित नहीं हुआ है और न ही उसके पक्ष में कोई स्थगन आदेश विद्यमान है।

अतः समस्त अभिलेखीय सामग्री, अपील के आधारों तथा विवादित आदेश पर विचार करने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपील निराधार है और इसमें हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता।

आदेश

1. अपीलार्थी **जलसिंह पुत्र छीतर, जाति जाट, निवासी ग्राम बधाना, तहसील कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा** द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील **खारिज** की जाती है।
2. नायब तहसीलदार, कोटकासिम द्वारा मूल प्रकरण संख्या **03/25** में पारित आदेश दिनांक **15.01.2026 यथावत् कायम** रखा जाता है।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी भविष्य में किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी से अपने पक्ष में अधिकार घोषणा अथवा स्थगन आदेश प्राप्त करता है, तो वह विधि अनुसार उचित कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा।
4. इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित नायब तहसीलदार, कोटकासिम को आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।
5. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

आदेश **आज दिनांक** 13-05-2026 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)